



# एसीसी नियुक्तियां

Posted On: 01 MAY 2017 8:53PM by PIB Delhi

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निम्नलिखित नियुक्तियों को मंजूरी दी है:

1. श्री अनिल श्रीवास्तव, आईएएस (एमपी:1985) की नियुक्ति नीति आयोग में सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति पार्षिक (लैटरल) शिफ्ट के आधार पर की गई है, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 14 फरवरी, 2019 तक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के सात साल के संयुक्त कार्यकाल अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति सुश्री अलका तिवारी, आईएएस (जेएच: 1988) के स्थान पर की गई है।
2. श्री जतीन्द्र नाथ सवेन, आईएएस (टीएन:1988) की नियुक्ति नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री संतोष डी वैद्य, आईएएस (यूटी:1998) के स्थान पर की गई है।
3. सुश्री उपमा श्रीवास्तव, आईएएस (एसके:1988) की नियुक्ति नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री अनिल श्रीवास्तव, आईएएस (एमपी: 1985) के स्थान पर की गई है।
4. श्री के.विनायक राव, आईआरएस (1987) की नियुक्ति शहरी विकास मंत्रालय के अधीनस्थ डीडीए में सदस्य (वित्त) (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री वैकटेश मोहन, आईएंडएस (1983) के स्थान पर की गई है।
5. श्री प्रमोद कुमार पाठक, आईएफओएस (केएल:1986) की नियुक्ति आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री ए.के. गनेरीवाला, आईएफओएस (एसके:1986) के स्थान पर की गई है।
6. श्री कमलेश चतुर्वेदी, आईएफओएस (एमपी:1988) की नियुक्ति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री रोहित कुमार सिंह, आईएएस (आरजे: 1989) के स्थान पर की गई है।
7. श्री पी.के. बोर्थाकुर, आईएएस (एमम:1989) की नियुक्ति कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री राजेश के. सिंह, आईएएस (केएल: 1989) के स्थान पर की गई है।
8. श्री के. राजारमण, आईएएस (टीएन:1989) की नियुक्ति व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में करने को स्वीकृति दी गई है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यह नियुक्ति श्री विवेक जोशी, आईएएस (एचवाई:1989) के स्थान पर की गई है। यह 17 मार्च, 2018 तक निदेशक स्तर का उन्नत पोस्ट बरकरार रहने तक अथवा संयुक्त सचिव स्तर की कोई नियमित रिक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अमल में रहेगी।

\*\*\*\*\*

वीके/एसकेजे/एसकेपी- 1223

(Release ID: 1488960) Visitor Counter : 11

